



## छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक 101 /अ.आ./निविदा/मुख्या./15

रायपुर, दिनांक 16/01/2015

### सामग्री अनुमोदन आदेश

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल की विभिन्न प्रकार की योजनाओं में निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग में प्रचलित एस.ओ.आर. जो कि दिनांक 01.01.2015 से प्रभावशील है तथा दिनांक 22.01.2015 से मण्डल में लागू है, के आधार पर विशिष्ट पुस्तिका के आधार पर SHREE HARDEO INDUSTRIES, Shree Hardeo House, Rathore Chowk, Raipur C.G. (India) द्वारा उत्पादित SWR Pipes & Fitting, Water Tanks, UPVC Pipes & Fittings, Casing Pipes, Column Pipes, Rigid Pipes एवं ASTM (American Standard Threaded Manufacturing) Code 1785D Pipes जिन पर "VERTEX" व्यावसायिक चिन्ह अंकित को निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदित किया जाता है :-

1. सामग्री की क्वालिटी आकार अथवा अन्य कोई शिकायत सिद्ध होती है तो अनुमोदन निरस्त किया जा सकता है।
2. यह अनुमोदन जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक या उत्पादों की आई.एस.आई. प्रमाण पत्रों की वैधता तिथि जो पहले हो तक मान्य होगा। इसके नवीनीकरण के लिये वैधता समाप्त के एक माह के पूर्व आवेदन करना होगा।
3. समय-समय पर प्राइस लिस्ट/केटलाग/ड्राईंग आदि जब भी परिवर्तित होते हैं तो इस कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
4. बगैर कारण दर्शाये यह अनुमोदन निरस्त करने हेतु मण्डल के पास अधिकार सुरक्षित होंगे।
5. यह अनुमोदन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी प्रत्येक सामग्री का लाईसेंस नवीनीकरण होने पर ही मान्य होगा। नवीनीकरण के प्रत्येक प्रमाण पत्र की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे। अनुमोदित प्रत्येक सामग्री पर आई.एस.आई. चिन्ह अंकित होना चाहिए।
6. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा समय-समय पर जारी नियम एवं शर्तें आप पर भी लागू होंगे।

(आदेशानुसार)

अपर आयुक्त

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल  
मुख्यालय रायपुर

क्रमशः 11211